

10. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज		
(क) एकीकृत कर के मद्दे		
(ख) केन्द्रीय कर के मद्दे		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे		
(घ) उपकर के मद्दे		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम/प्रास्थिति _____

तारीख- दिन/मास/वर्ष

अनुदेश:

1. यह प्ररूप ऐसे करदाताओं या ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित नहीं है जो निम्नलिखित रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं :-

- (i) इनपुट सेवा वितरक;
 - (ii) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति;
 - (iii) अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
 - (iv) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा है; और
 - (v) ऐसे व्यक्ति जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है।
2. इनपुट, अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के स्टॉक के और ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी के, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय का कर उपभोग किया गया है, स्टॉक के ब्यौरे।
3. क्रम सं0 8 में के स्टॉक के ब्यौरे उपलब्ध करवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
- (i) जहां स्टॉक में धारित इनपुट या अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मॉल की विद्यमान बाजार कीमत पर आधारित नियम 44 के उपनियम (3) के अधीन रकम का प्राक्कलन करेगा ;
 - (ii) ऐसे पूंजीमाल/संयंत्र और मशीनरी की दशा में मूल्य पांच वर्ष की उपयोगी अवधि के लिए बीजक/क्रय की तारीख से 1/60 प्रतिमास या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूल्य होगा ।
4. सारणी के क्रम संख्या 8 (प्रविष्टि 8(घ) के सामने) पर नियम 44 के उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाएंगे । प्रमाणपत्र की प्रति को ब्यौरे फाइल करते समय अपलोड किया जाएगा।";